FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

सीता बनाम हुकमाराम

किस्म मुकदमा **राजस्व वाद संख्या** 174 / सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने एक राजस्व वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 92A RT Act के तहत पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र धारा 80 (2) सीपीसी का भी पेश किया हैं जो सामिल मिसल हो। हस्ब प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण संख्या 7 के विरुद्ध वाद पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस तलब किये जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 8/10/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण ([redacted])	
25/9/25	वकील श्रीमान वादीया द्वारा पत्रावली तलब कर वाद विड्रॉल स्वीकार करने हेतु प्रा.पत्र पेश करने से पत्रा. आज पेश हुई। वकील श्रीमान वादीया ने प्रा.पत्र में कथन किया कि उक्त प्रकरण में वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है। इसलिये पत्रावली आज ही तलब किया जाकर वाद जरिये विड्रॉल स्वीकार फरमावें। प्रा.पत्र नि. कि हो। अतः वादीया का वाद जरिये विड्रॉल स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज रजिस्टर हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर होवे। आदेश जारी हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण	सीता देवी